अध्याय - 2

अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी

पत्रांक–3/अनु०–07/2010 का०–2107

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 31. 05. 2010

विषय :– अनुकम्पा समितियों की नियमित बैठक के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रित परिवार में से किसी एक परिभाषित आश्रित की समूह 'ग' या 'घ' के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करने हेतु पत्रांक 2822 दिनांक 27.04.95 के तहत, सचिवालय स्तर पर केन्द्रीय अनुकम्पा समिति तथा जिला–स्तर पर जिला अनुकम्पा समितियाँ गठित हैं। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को तत्काल आर्थिक संकट से राहत प्रदान करना है। परन्तु, सरकार के ध्यान में इस तथ्य को लाया गया है कि अनुकम्पा समितियों की बैठक लम्बे अन्तराल पर होती है जिसके कारण ऐसी नियुक्तियों में विलम्ब होता है। यह भी पाया गया है कि अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त हो जाने के बावजूद विभिन्न कार्यालयों में भिन्न–भिन्न कारणों से नियुक्तियाँ लम्बित रखी गयी हैं। इसके फलस्वरूप अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का मूल उद्देश्य ही पूरा नहीं हो पाता है।

2. ज्ञातव्य है कि ऐसी नियुक्तियाँ बिना किसी विलम्ब के होना सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ही मुख्य सचिव के हस्ताक्षर से निर्गत पत्रांक 2271 दिनांक 02.07.07 के अंतर्गत यह निदेश दिया गया है कि यदि किसी विभाग में रिक्ति नहीं हो तो अन्य ऐसे विभाग में नियुक्ति की कार्रवाई करायी जाय जहाँ रिक्ति उपलब्ध हो।

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुरोध है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित सभी लम्बित मामलों की समीक्षा का विभागवार/कार्यालयवार अभियान चलाकर जून 2010 तक ऐसे मामलों को निष्पादित करना सुनिश्चित किया जाय। यदि अनुकम्पा समिति के विचारार्थ आवेदन पत्रादि/प्रस्ताव प्राप्त रहते हों तो अनुकम्पा समितियों की बैठक कम–से–कम माह में एक बार अवश्य आयोजित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

अजय कुमार चौधरी

सरकार के उप सचिव

पत्रांक–3/आर०–01/2008 – 1781

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार चौधरी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

<u>सरकार के सभी विभाग</u>
<u>सभी विभागाध्यक्ष</u>
<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त</u>
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 10. 05. 2010

विषय :– सी०डब्लू०जे०सी० सं० 6668/2003 तथा 7044/2003 में पारित आदेश का अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक मं०मं०1/न्या० (वि०)–509/04–2546 दिनांक 01.09.04 के तहत परिचारित, सी०डब्लू०जे०सी० सं०–6668/2003 तथा सी०डब्लू०जे०सी० सं० 7044/2003 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 27.07.04 को पारित समेकित आदेश की प्रतिलिपि इसके साथ संलग्न कर अनुपालनार्थ परिचारित की जाती है।

विश्वासभाजन
अजय कुमार चौधरी
सरकार के उप सचिव

पत्रांक – मं०मं० 1/ न्या (वि०) 509/04 – 2546

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग

प्रेषक,

श्री मदन मोहन प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी आयुक्त एवं सचिव/सचिव/
सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 01 सितंबर, 04

विषयः– सी.डब्लू.जे.सी. सं०–6668/03 तथा 7044/03 में पारित माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश का अनुपालन करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के पत्रांक–5859 दिनांक 05.08.04 के द्वारा विषयांकित मामलों के सम्बन्ध में पारित दिनांक 27.07.04 की प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है।

अतः कृपया न्यायादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

विश्वासभाजन
मदन मोहन प्रसाद
सरकार के उप सचिव

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

C.W.J.C. NO. 6668 OF 2003 with

C.W.J.C. NO. 7044 OF 2003.

Mahabir Paswan --------------------Petitioner in CWJ C No. 6668/2003

Jay Prakash Choudhary ---------------Petitioner in CWJC No. 7044/2003

Versus

The State of Bihar & Ors. ....Respondents in both case

For the petitioner in

CWJC No. 6668/2003 ....Mr. D. K. Sinha Sr. Adv.

For the petitioner in

CWJC No. 7044/2003 ....Mr Tej Bahadur Singh

For the State : Mr. P. K. Singh, J.C. to SC3.

5. **27.7.2004** This order shall dispose of C.W.J.C. No. 6668/2003 (Mahabir paswan vs. The State of Bihar & Ors.) and C.W.J.C. No. 7044/2003 (Jay Prakash Choudhary Vs. The State of Bihar & Ors.).

The facts in the matter of Mahabir Paswan are that his father Basudeo Paswan, who was working as an Assistant Teacher at Middle School Tajnipur died on 17.6.2001 and there after the petitioner made an application for his appointment on compassionnate ground. His application has been rejected on the ground that one of the wards/successors of the deceased i.e. petitioner's brother Kamlesh Paswan was posted as Assistant Teacher at Primary School, Giriyak. In the matter of Jay Prakash Choudhary, the facts are that petitioner's father died on 22.2.2002 and the petitioner made application for his appointment on compassionate ground. His application was also rejected on the ground that his elder brother i.e. the elder son of the deceased was gainfully employed in a Government job.

Learned counsel for each of the petitioner submitted that the respondents should not reject the applications straightway but were obliged to make enquiries that whether the person gainfully employed was looking after the family or not, was providing any assistance to the family or not, and whether he was living jointly or separately.

Referring to a circular of 1999, it is contended by the counsel for the petitioners that unless an enquiry into these facts is made and a positive finding is recorded, the applications could not be rejected simply on the ground that one of the successors of the deceased was gainfully employed. On the other hand, learned counsel for the respondents submits that if one of the successors of the deceased is gainfully employed then in light of the Division Bench Judgment of this Court in the matter of Vishal Kumar vs. State of Bihar & ors. [2004 (2) PLJR-453], there is no obligation upon the State Govt. to offer job in an otherwise backdoor entry employment.

To counter the said argument, learned counsel for parties submits that learned Single Judge in the matter of Kaushalendra Kumar V. State of Bihar & Ors. (C.W.J.C. No. 11487 of 2002, decided on 14.2.2003) observed that the appointment could not be refused on this simple ground without making an enquiry into the allegations

of the petitioners and recording a finding that whether the persons so gainfully employed were maintaining the family or not. It is also submitted that the matter of Kaushalendra Kumar, in light of the said directions issued by this Court was reconsidered and the District Compassionate Appointment Committee made recommendations in his favour.

Reliance is also placed upon the Single Bench judgment of this Court in the matter of Bharat Prasad Vs State of Bihar & ors. [1998 (1) PLJR 125].

In the matter of Vishal Kumar (supra), the Division Bench has taken into consideration the case of Bharat Prasad (supra) and observed that while deciding the said case though the Learned Judge clearly mentioned that he was not deciding the validity of any guideline and merely permitting filing of representation. The Divsion Bench observed that the case does not apply to the circumstances of the case under consideration.

In the matter of Vishal Kumar (supra), this court after taking into consideration the argument that the employed brother and the father were living separately and evidence was offered to that, the said petitioner was entitled to an appointment, observed "the Court is afraid, this logic of law will not apply if there will be rivalry with in the family as in the present case between the father and the son or between siblings, a job can be offered on the principle of compassionate ground only to one person and when one is gainfully employed, there is no obligation to offer a job in an otherwise backdoor entry employment." The above referred observations of the Division Bench certainly strike at the very roots of the petitioners' rights. In each of the case, one of the son of the deceased is gainfully employment in the Government job. If one son is already employed and the Division Bench says that there is no obligation to offer a job in an otherwise back-door entry employment then the petitioners certainly would not be entitled to appointment on compassionate ground. The petitions deserve to and are accordingly dismissed.

Let a copy of this order be sent to the Chief Secretary so that the same is circulated in different Departments so that no heart-burn is caused to anybody that in a given case one has been appointed though his relation was gainfully employed.

Sd/- R.S. Garg

पत्र संख्या – 3/सी. 1–5015/97 सा०–1699

बिहार सरकार,

सामान्य प्रशासन विभाग।

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 05. 05. 2010

विषय :– तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका (1) (ग) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है। तदनुसार मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहित पुत्री एवं पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया है। इसके पश्चात् पत्रांक 517 दिनांक 12. 05. 2005 के तहत कुछ शर्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लेते हुए इस हद तक ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 को संशोधित किया गया। पत्रांक 7146 दिनांक 31.10.08 के तहत यह निर्णय भी संसूचित है कि अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामलों में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा। परन्तु तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को आश्रित की श्रेणी में माने जाने का निर्णय अभी तक नहीं हो सका था। इस संबंध में विधिक परामर्श लिया गया है जिसमें तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को भी मृत सरकारी सेवक के आश्रित की श्रेणी में रखना अपेक्षित बताया गया है।

अतः विधिक परामर्श के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृत सरकारी सेवक की तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, बशर्ते कि तलाक/विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अलावे वह एकमात्र आश्रित हो। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका (1) (ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

पत्रांक 3/अनु०–17/2005 का०–2955

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति।

पटना–15, 22 जून, 2009

विषय :– शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर शिक्षक पद पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 6905 दिनांक 17.10.08 तथा मानव संसाधन विकास विभाग के पत्रांक 2209 दिनांक 28.12.06 में दिए गये निदेशों को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय जिला पदाधिकारियों द्वारा शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रसंग में मार्गदर्शन माँगा गया है।

2. इस विषय पर मानव संसाधन विकास विभाग से विचार–विमर्श के उपरान्त स्पष्ट हुआ कि बिहार पंचायत प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 के नियम–10 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :–

"**10–अनुकम्पा के आधार पर नियोजन**–शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर निर्धारित योग्यता के अनुरूप पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षक के पद पर उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध नियोजन किया जा सकेगा, यदि वे स्पष्ट रूप से इसके लिये अपनी सहमति देते हैं। नियोजन सरकार के कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी निर्धारित अन्य शर्तों के आलोक में उपरोक्त समितियों द्वारा किया जा सकेगा, अप्रशिक्षित आश्रितों को नियोजन के बाद इन्हें अधिकतम 6 वर्षों के अन्दर प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना अनिवार्य होगा।" ऐसा ही प्रावधान बिहार नगर प्रारम्भिक शिक्षक (नियोजन एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2006 में भी है। उपर्युक्त प्रावधान में प्रयुक्त "समितियों" शब्द से तात्पर्य उक्त नियमावलियों में गठित समितियों से है।

3. इस प्रकार स्पष्ट है कि शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति उपर्युक्त नियमावलियों में गठित समितियों द्वारा पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षक/नगर शिक्षक आदि पदों के विरुद्ध नियत वेतन पर ही हो सकती है।

4. अतः शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों के मामले जिला अनुकम्पा समितियों द्वारा विचारित नहीं किये जा

सकते हैं। फलस्वरूप शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के आश्रितों के आवेदनपत्रादि जिला अनुकम्पा समिति को मानव संसाधन विकास विभाग के पदाधिकारी नहीं भेजेंगे। ऐसा आवेदनपत्र संबंधित नियोजन इकाई में दाखिल किया जायेगा और संबंधित नियोजन इकाई उसे उक्त नियमावलियों के अधीन गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी। यदि आवेदक ऐसी नियुक्ति हेतु सभी अर्हताएँ/शर्तें पूरी करते हों और रिक्ति उपलब्ध हो तो 30 (तीस) दिनों के अन्दर नियुक्ति कर दिया जाना आवश्यक होगा। यदि रिक्ति तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो रिक्ति के उपलब्ध होने के 30 (तीस) दिनों के अंदर ऐसी नियुक्ति हो जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मानव संसाधन विकास विभाग के संबंधित पदाधिकारी की होगी।

5. उपर्युक्त अनुदेशों में मानव संसाधन विकास विभाग की सहमति प्राप्त है।

6. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग का उपर्युक्त पत्रांक 6905 दिनांक 17.10.08 एतद द्वारा रद्द किया जाता है।

7. अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को उक्त अनुदेशों से अवगत करा देना सुनिश्चित करना चाहेंगे।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

---

[5]

पत्र संख्या 3/एम०–62/2008 का०–10073

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 18 दिसम्बर, 2008

विषय :– सेवाकाल में मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अर्हता की सशर्त छूट के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका (2)(क) के अनुसार अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदक को प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता प्राप्त रहना अपेक्षित है। समूह 'घ' (वर्ग–4) में नियुक्ति के लिए इस विभाग के पत्रांक 3577 दिनांक 25.04.97 तथा 7805 दिनांक 23.09.02 के द्वारा न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण निर्धारित है। अतः अनुकम्पा के आधार पर समूह 'घ' (वर्ग–4) में नियुक्ति हेतु भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अष्टम वर्ग उत्तीर्ण रहना आवश्यक है।

2. राज्य महादलित आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय–XII की कंडिका–22 के तहत निम्नांकित अनुशंसा की गई है :–

"22. For compassionate appointments, the Government has prescribed minimum qualification of 8th class passed. As all Maha Dalits are illiterates, their dependents up to 80% are not getting employment on compassionate ground. They shall be given Provisional employment with a condition they should get themselves literate within five years."

3. राज्य महादलित आयोग की उपर्युक्त अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यकरूपेण विचारोपरांत निर्णय लिया गया है कि मृत महादलित सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता (अष्टम वर्ग उत्तीर्ण) नहीं रहने पर भी इस शर्त्त के साथ औपबंधिक रूप से उनकी नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है कि वे अधिकतम दो वर्षों के अन्दर साक्षरता प्राप्त कर लेंगे। 'साक्षरता' से आशय है पढ़ने–लिखने का ज्ञान ताकि वे अपना हस्ताक्षर कर सकें और संचिकाओं का विषय पढ़ सकें। साक्षरता प्राप्त करने की उनके द्वारा सूचना दिये जाने पर नियुक्ति पदाधिकारी स्वयं या प्राधिकृत पदाधिकारी से साक्षरता प्राप्त करने की जाँच कराकर संतुष्ट हो लेंगे। यदि निर्धारित समय–सीमा के अन्दर वे साक्षरता प्राप्त करने की सूचना नहीं देते हैं तो उनकी सेवा निर्धारित समय–सीमा पूरा होने पर स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

4. कृपया उपर्युक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

---

[6]

पत्र संख्या 3/सी०–233/2007 का०–7146

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की समूह 'ग' एवं 'घ' के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया–अविवाहित सरकारी सेवकों तथा लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका (1) (ग) एवं (घ) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है और तदनुसार मृत सरकारी सेवक के भाई, बहन या माँ को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं है। इस संबंध में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 13668/2001 (दुर्गी देवी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 17.09.2007 को आदेश पारित किया गया है जिसका उद्धरण निम्नानुसार है :–

"Having considered the matter, I am of the view that compassionate appointment is not an appointment as a matter of right. The same is governed by rule and regulations. Petitioners do not dispute that the rules, regulations and the statutory circulars as they stand today, do not provide for compassionate appointment of the younger brother of a deceased but the submits that a contingency like this where a deceased person dies as a bachelor has never been contemplated. It is rightly submitted on behalf of the petitioners that such a contingency was not contemplated by the State. It is time they considered the said eventuality and provided for him otherwise the very purpose of compassionate appointment would stand defeated. There may be causes where a young employee not yet married but supporting his parents and younger and other members of the family suddenly dies if other dependants are not reckoned for compassionate appointment then the classification would not be full and complete and was liable to be challenged but as things stand today, no statute or statutory directions gives a right to the younger brother of the deceased to be appointed on compassionate ground. There being no right, this court cannot issue a mandamus.

However, this court would like to request the State government to consider such cases and provide for them generally or, in such special cases, make provisions for departure from the normal rule so that such an unfortunate situation does not arise. If the State Government considering the situation thinks otherwise, it may still offer employment to the younger brother of the deceased employee." उक्त आदेश में दिये गये सुझावों पर विचार करने के बाद तदनुसार कार्रवाई करने की आवश्यकता समझी गई है।

2. इसी प्रकार इस विभाग के ज्ञापांक 281 दिनांक 01.02.2006 तथा पत्रांक 4265 दिनांक 04.12.07 के तहत यह अनुदेश संसूचित किया गया था कि वर्त्तमान प्रावधानों के तहत लापता सरकारी सेवक के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है तथा लापता व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मृत समझे जाने के आलोक में उसके बाद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का औचित्य नहीं रह जाता है। समीक्षा के क्रम में पाया गया है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या–14014/6/94–इस्ट (डी०) दिनांक 09.10.98 के तहत भारत सरकार में लागू अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी अनुदेश की कंडिका–11 के तहत लापता सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुमान्यता, कुछ शर्तों के अधीन दी गई है। भारत सरकार में लागू उक्त व्यवस्था पर विचारोपरांत उसे इस राज्य में लागू करना अपेक्षित समझा गया है।

3. अतः माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दिये गये सुझावों तथा भारत सरकार के उक्त कार्यालय ज्ञापन में निहित प्रावधान के आलोक में, राज्य सरकार द्वारा सम्यकरूपेण विचारोपरांत निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं :–

(1) यदि कोई सरकारी सेवक अविवाहित हो और उसके माता–पिता एवं भाई–बहन उसी पर आश्रित हों तथा सेवाकाल में ऐसे सरकारी सेवक की मृत्यु हो जाय तो वैसी परिस्थिति में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहित छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जाएगा।

(2) लापता सरकारी सेवकों के मामले में भी, निम्नांकित शर्त्तों के अधीन, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता होगी :–

(क) सरकारी सेवक के लापता होने की तिथि से दो वर्षों के बीत जाने के बाद अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अनुरोध पर विचार हो सकता है, बशर्त्ते कि :–

(i) पुलिस थाना में इस संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज किया गया हो;

(ii) लापता व्यक्ति का पता चल पाना कठिन हो, और

(iii) सक्षम प्राधिकार यह महसूस करे कि मामला सत्य है।

(ख) यह लाभ ऐसे सरकारी सेवकों के मामले में अनुमान्य नहीं होगा :–

(i) जिसे लापता होने की तिथि से दो वर्षों के अंदर सेवानिवृत्त होना है, या

(ii) जिस पर धोखाधड़ी करने का संदेह हो, या किसी आतंकवादी संगठन में शामिल होने का संदेह हो, या विदेश चले जाने का संदेह हो।

(ग) अन्य के मामलों की तरह लापता सरकारी सेवक के मामले में भी अनुकम्पा नियुक्ति अधिकार का मामला नहीं होगी और यह, रिक्तियों की उपलब्धता सहित, ऐसी नियुक्ति के लिए निर्धारित सभी शर्त्तों के पूरा होने पर ही हो सकेगी।

(घ) ऐसे अनुरोध पर विचार करते समय पुलिस अनुसंधान के परिणामों को भी ध्यान में रखा जायेगा।

(3) लापता सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर लिये जाने के बाद लापता सरकारी सेवक के पुनः प्रकट हो जाने पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त उनके आश्रित की सेवा स्वतः समाप्त समझी जायेगी। परन्तु ऐसे आश्रित से, उनके द्वारा कर्त्तव्य की अवधि के लिए, भुगतान की गई राशि की वसूली नहीं की जायेगी।

लापता सरकारी सेवक के प्रकट होने एवं योगदान देने पर सक्षम प्राधिकार द्वारा उनका योगदान स्वीकार करते हुए उन्हें निलंबित कर उनके विरुद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम–76 के आलोक में अनधिकृत अनुपस्थिति के लिए नियमानुसार विभागीय कार्यवाही चलाकर समुचित कार्रवाई की जायेगी।

4. इस विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका (1) (ग) एवं (घ) उपर्युक्त हद तक संशोधित समझी जायेगी, और ज्ञापांक 281 दिनांक 01.02.2006 एवं पत्रांक 4265 दिनांक 04.12.07 तदनुसार अवक्रमित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

---

[7]

पत्र संख्या–3/अनु०–17/2005 का०–6905

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,

–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति।

पटना–15, दिनांक 17 अक्टूबर, 2008

विषय :– अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि कुछ जिला अनुकम्पा समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों के अवलोकन से स्पष्ट हुआ है कि जिला अनुकम्पा समितियों द्वारा अनुकम्पा के आधार पर पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षक/नगर शिक्षक के पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जाती है। पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षक/नगर शिक्षक के पद सरकार के अधीन के पद नहीं होते हैं और ऐसे पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा करना, अनुकम्पा समितियों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है।

अतः निदेशानुसार कहना है कि पंचायत शिक्षक/प्रखंड शिक्षक/नगर शिक्षक आदि के पदों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए अनुशंसा नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाय। यदि ऐसी कोई अनुशंसा की गयी हो तो जिला अनुकम्पा समिति द्वारा उस पर पुनर्विचार कर इस विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुसार अनुशंसा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव।

पत्र संख्या–3/सी०–148/07 का०–4265

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

सरयुग प्रसाद,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 04. 12. 2007

विषय :– सेवाकाल में लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक इस विभाग के ज्ञापांक 281 दिनांक 01.02.06 के क्रम में कहना है कि सी०डब्ल्यू०जे०सी० संख्या 13282/2005 (नूर आलम बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) एवं उसके साथ पाँच अन्य याचिकाओं में दिनांक 24.08.07 को समेकित आदेश पारित किया गया है, जिसमें लापता सरकारी सेवकों के याचिकाकर्त्ता आश्रितों के पक्ष में निर्णय दिया गया है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त न्यायादेश सामान्य आदेश नहीं है बल्कि याचिकाकर्त्ताओं के संबंध में दिया गया है। अतः इस विभाग के ज्ञापांक 281 दिनांक 01.02.2006 में निहित अनुदेश पर उक्त न्यायादेश का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है, फलस्वरूप यह लागू रहेगा।

इस विभाग के पत्रांक 7586 दिनांक 16.08.07 तथा पत्रांक 9739 दिनांक 26.11.97 और लापता सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा नियुक्ति से संबंधित ज्ञापांक 281 दिनांक 01.02.2006 से पूर्व का अन्य कोई परिपत्र/अनुदेश, तुरत के प्रभाव से विलोपित समझे जायेंगे।

विश्वासभाजन,

सरयुग प्रसाद

सरकार के उप सचिव

अशोक कुमार चौधरी

सत्यमेव जयते

CHIEF SECRETARY
GOVT. OF BIHAR
मुख्य सचिव, बिहार सरकार
Main Secretariat, Patna-800015
मुख्य सचिवालय, पटना–800015
Tel : 0612-2223804
Fax: 0612-2222085

पत्र सं०–3/आर1–178/03–का० 2271

दिनांक 2 जुलाई, 2007

सेवा में,

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि सेवाकाल में सरकारी सेवकों की मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों में से एक को राज्य सरकार के अन्तर्गत वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान है। इस संदर्भ में समय–समय पर इस विभाग द्वारा अनुदेश निर्गत किये गये हैं। ज्ञातव्य है कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा तीन रिट याचिकाओं में दिनांक 07.12.94 को पारित समेकित आदेश के अनुपालन में निर्गत इस विभाग के पत्रांक 2822, दिनांक 27.04.95 की कंडिका 3 (ख) के अनुसार जिला अनुकम्पा समिति द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु, मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही वरीयता सूची तैयार की जानी है और रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को समिति द्वारा नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित किया जाना है। इस अनुदेश के अनुसार, रिक्ति की उपलब्धतानुसार, मृत्यु की तिथि की वरीयता के आधार पर, किसी कार्यालय के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की नियुक्ति हेतु अनुशंसा दूसरे अन्य कार्यालय को भेजी जा सकती है। परन्तु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि मृत सरकारी सेवक के पैतृक विभाग में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं रहने के कारण उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अन्य विभाग, जहाँ रिक्तियाँ उपलब्ध हैं, को अनुशंसा भेजे जाने पर उक्त विभाग रिक्ति का अभाव दिखाकर अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं करते हैं। इसके फलस्वरूप संबंधित आश्रित को क्षोभ होता है और न्यायालय में वादों की संख्या भी बढ़ती है।

अतः यह निदेश दिया जाता है कि जिन विभागों/कार्यालयों में रिक्तियाँ उपलब्ध नहीं हैं, उन विभागों/कार्यालयों के मृत कर्मी के आश्रितों की अनुकम्पा नियुक्ति हेतु अन्य विभाग/कार्यालय, जहाँ रिक्तियाँ हैं, को अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त होने पर आवेदक आश्रित की योग्यतानुसार नियुक्ति वांछनीय होगी, बशर्ते कि रिक्तियाँ कर्मचारी चयन

आयोग को अधियाचित नहीं हों। अधियाचित रिक्तियों से भिन्न रिक्तियाँ उपलब्ध रहने के बावजूद नियुक्ति की दिशा में कार्रवाई करने में टालमटोल करने वाले नियोक्ता/सक्षम पदाधिकारी के विरुद्ध जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

अशोक कुमार चौधरी

---

[10]

पत्र सं०—3/सी0—71/2005—का०—367

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना—15, दिनांक 11. 02. 06

विषय :— अनुकम्पात्मक नियुक्ति का दोबारा लाभ देते हुए प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग—3 एवं 4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया संबंधी ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका 9 (क) में प्रावधान है कि अनुकम्पा के आधार पर किसी पद पर नियुक्ति होने पर पुनः उसे अनुकम्पा का दोबारा लाभ देते हुए उसकी प्रोन्नति अथवा संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रावधान का अनुपालन सख्ती से करते हुए अनुकम्पात्मक नियुक्ति में संवर्ग परिवर्तन की अनुशंसा नहीं किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन

राजेन्द्र प्रसाद

सरकार के अवर सचिव

पत्र सं०-3/सी03-095/2002 का०-281

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

आयुक्त एवं सचिव,

पथ निर्माण विभाग,

बिहार, पटना।

पटना-15, दिनांक 01. 02. 06

विषय :- सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-8716/02 (कमला देवी एवं सुधीर कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 02.02.2005 को पारित आदेश से उद्भुत एम०जे०सी० नं०-........../05 के आलोक में निर्णय लेने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक पथ निर्माण विभाग के आदेश संख्या-4/का० स्था०-03-18-02/2001-295 दिनांक 28.12.2005, जिसे उक्त विभाग के पत्रांक 306 (एस) दिनांक 10.01.2006 के तहत संसूचित किया गया है, के संदर्भ में कहना है कि पथ निर्माण विभाग के अग्रिम योजना प्रमंडल, पटना के एक लापता कर्मचारी के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का आवेदन अस्वीकृत कर दिये जाने के विरुद्ध दायर सी०डब्ल्यू०जे०सी० नं०-8716/2002 (कमला देवी एवं सुधीर कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 02.02.2005 को पारित आदेश में निम्नांकित निदेश दिया गया था-

"It is true that there is a limit for making application for compassionate appointment. This limit, however, will start running from the date when the period of presumption will come to an end and not on the date of the death for by reason of a fiction of the statute made through the legislative mandate although the death has occurred, the cognizance thereof can be taken after expiry of the time specified.

In these circumstances, the respondents are directed to reconsider the application of petitioner no.2 for appointment on compassionate ground afresh within a period of four weeks from the date of service of a copy of this order upon the appropriate respondent."

2. पथ निर्माण विभाग के उपर्युक्त कार्यालय आदेश संख्या 295 दिनांक 28.12.2005 के तहत आदेश पारित किया गया है कि वर्त्तमान में लापता सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसे प्रावधान किया जाय अथवा नहीं, इसका विचार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से होना है, जो कि संभवतः इस पर विचार कर रही है। जबतक इस प्रकार का प्रावधान हो नहीं जाता तबतक आवेदिका की नियुक्ति स्थापित नियमों के प्रतिकूल होगा। साथ ही, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से शीघ्र निर्णय लेने का भी अनुरोध किया गया है।

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय के उक्त आदेश से स्पष्ट होता है कि आवेदन कालबाधित रहने के आधार पर अस्वीकृत किया गया था, जबकि आवेदन इस आधार पर अस्वीकृत किया जाना चाहिए था कि लापता सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का प्रावधान नहीं है। कालबाधित होने के आधार पर अस्वीकृति के कारण माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पुनर्विचार करने का आदेश दिया गया है।

4. यदि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत लापता होने के 7 वर्षों के बाद सरकारी सेवक को मृत समझे जाने के आधार पर उसके बाद उनके आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त किया जाता है तो अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का औचित्य ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि सरकारी सेवक की मृत्यु के फलस्वरूप तत्काल राहत के रूप में अनुकम्पा का लाभ उनके आश्रित को दिया जाता है। यह स्थिति सरकारी सेवक के लापता होने के 7 वर्षों बाद नहीं होगी। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश तथा पथ निर्माण विभाग के उक्त अनुरोध के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि चूँकि वर्त्तमान प्रावधानों के तहत लापता सरकारी सेवक के मामले में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य नहीं है तथा चूँकि लापता व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मृत समझे जाने के आलोक में उसके बाद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का औचित्य नहीं रह जाता है, अतः श्रीमती कमला देवी की अनुकम्पा पर नियुक्ति का दावा अस्वीकृत कर दिया जाय।

विश्वासभाजन,
राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक–3/सी०3–095/02 का०–281 पटना–15, दिनांक 01.02.06

प्रतिलिपि–सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राजीव लोचन
सरकार के अपर सचिव

पत्र संख्या–3/एम०–118/2005 का०–2338

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

<u>सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष</u>

<u>सभी प्रमण्डलीय आयुक्त</u>

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2005

विषय:– सी०डब्लू०जे०सी० सं०–12801/2002–यशवंत कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, दिनांक 05.04.2004.

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त न्यायादेश की प्रतिलिपि सूचना एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु संलग्न कर भेजी जाती है।

विश्वासभाजन

राजेन्द्र प्रसाद

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–3/एम०–118/2005 का०–2338 पटना–15, दिनांक 31 अक्टूबर, 2005.

प्रतिलिपि– वित्त (लोक उद्यम ब्यूरो) विभाग को अनुलग्नक की प्रतिलिपि के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि सरकार के अधीनस्थ सभी बोर्ड/निगम/निकाय/पर्षद को उक्त न्यायादेश से अवगत कराने हेतु अपने स्तर से कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

राजेन्द्र प्रसाद

सरकार के अवर सचिव

Sl. of order	Date of Order	Order with Signature	office notes as to action (if any) taken on order
		In the High Court of Judicature at Patna, C.W.J.C. No. 12801 of 2002 Yashwant Kumar Singh vs. State of Bihar & ors.	
3.	05.04.2004	Heard learned counsel for the parties.	

The petitioner, one of the wards of an employee who died in harness, made an application to the Corporation for his appointment on compassionate ground. The respondents have come out with a case that they are not financially viable and now they have alreay filed a winding up petition, therefore, under these circumstances, no order of compassionate appointment can be issued in favour of the petitioner specially when the corporation is unable to meet both ends.

Taking into consideration the totality of the circumstances and the defence raised by the respondents, I do not think that any direction can be issued in favour of the petitioner.

The petition is dismissed.

However, liberty at the request of the counsel for the petitioner is granted in favour of the petitioner is that in case by miracle or by grace of God the Respondent-Corporation survives and stands on its feet again then he may make an application for consideration of his case.

Sd/- R.S. Garg, J.

---

[13]

पत्रांक 3/सी० 2–60108/94 का०–2138

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राजीव लोचन,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

आरक्षी महानिदेशक, बिहार, पटना

सभी प्रक्षेत्रीय आरक्षी महानिरीक्षक

सभी आरक्षी उप महानिरीक्षक

सभी आरक्षी अधीक्षक

सभी समादेष्टा, बिहार सैन्य पुलिस

पटना–15, दिनांक 05 अक्टूबर, 2005

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग–3 (समूह 'ग') एवं वर्ग–4 (समूह 'घ') के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 3974/1992, 12268/1992 एवं 12453/1993 में दिनांक 07.12.1994 को पारित समेकित आदेश के अनुपालन में निर्गत उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक 3/सी०2–60108/94 का0 2822 दिनांक 27.04.1995 के अन्तर्गत सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार कर अनुशंसा करने के निमित्त केन्द्रीय अनुकम्पा समिति का गठन किया गया है और जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार कर अनुशंसा करने के लिए पूर्व से गठित जिला अनुकम्पा समितियों को प्राधिकृत किया गया है। तदनुसार उक्त अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा के आधार पर ही अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबन्धित विभागों/कार्यालयों के सक्षम नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा की जा सकती है। उक्त परिपत्र में निहित अनुदेशों के विपरीत कोई भी नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय की अवमानना समझे जाने का उल्लेख भी उक्त परिपत्र में है। उपर्युक्त आलोक में सरकारी सेवकों के सेवाकाल में मृत्यु के प्रत्येक मामलों में आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का मामला संबंधित अनुकम्पा समिति द्वारा अनुशंसित होना आवश्यक होने के कारण पुलिस कर्मियों के मामले में भी यही प्रक्रिया लागू होती है।

2. कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि अपराधियों से संघर्ष या उग्रवादियों/नक्सलवादियों के आक्रमण में मारे गये पुलिस कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति में अनावश्यक विलम्ब होता है। पटना उच्च न्यायालय के खंडपीठ द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 7252/2004 (इंडियन मेडिकल एसोशिएशन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में 06.09.2005 को पारित आदेश में राज्य सरकार की ओर से दाखिल प्रतिशपथ–पत्र पर विचारोपरांत दिनांक 07.12.1994 के पूर्वोक्त न्यायादेश की व्याख्या करते हुए निम्नांकित निदेश देने की कृपा की गयी है:–

"In our view, the judgement passed by the Division Bench of this Court does not stand in the way of the State Government in making provision to deal with the emergent situation where police personnel dies in police encounter/combat or due to attack by extremists and Naxalities. Direction has been given in the aforesaid case to maintain consistency with regard to appointments in case of natural death of the employee while in service. That does not cover the emergent cases i.e. extraordinary situation where the police personnel dies facing extremists and Naxalities in encounter or in similar other situation. To meet such situation, in our view, the Government is competent to frame rules/issue instructions so that early appointment on compassionate ground in such cases will boost the moral of the police personnels and they will not run away from duty.

Accordingly, the order passed by the Division Bench of this court in the aforesaid cases is clarified and the State Government is directed to come out with a scheme within a period of two months from to-day."

3. पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि पुलिस कर्मियों की सेवाकाल में सामान्य मृत्यु के मामलों में उपर्युक्त पत्रांक 2822 दिनांक 27.04.1995 के तहत की गयी व्यवस्था पूर्ववत् लागू रहेगी। परन्तु जो पुलिस कर्मी अपराधियों के साथ संघर्ष में अथवा उग्रवादियों/नक्सलवादियों के आक्रमण आदि में वीरगति को प्राप्त होते हैं, उनके आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में अनुकम्पा समितियों की अनुशंसा प्राप्त करने की अनिवार्यता नहीं रहेगी। ऐसे मामलों में संबंधित आरक्षी अधीक्षक, समादेष्टा अथवा नियुक्ति हेतु सक्षम अन्य प्राधिकार, संबंधित अनुकम्पा समिति की अनुशंसा प्राप्त किये बिना, नियुक्ति पर विचार करने में सक्षम होंगे। साथ ही इस विभाग का पत्रांक 2822 दिनांक 27.04.1995 मात्र उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जायेगा।

परन्तु उक्त पत्र के तहत निर्धारित अन्य प्रावधान यथा 5 वर्षों की समय–सीमा आदि तथा इस विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.1991 के अन्तर्गत निर्धारित आधार एवं प्रक्रिया पूर्ववत् लागू रहेगी। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों में भी नियुक्ति हेतु वांछित पदीय शैक्षणिक, शारीरिक एवं अन्य योग्यताओं का रहना आवश्यक होगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति समूह 'ग' में अधिक से अधिक रु० 3050–4590/– के वेतनमान में तथा समूह 'घ' के न्यूनतम वेतनमान में ही की जा सकती है।

4. कृपया उपर्युक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कार्यालयों को अवगत करा दिया जाय तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

विश्वासभाजन

राजीव लोचन

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–3/सी०2–60108/94 का०–2138 पटना, दिनांक 05.10.05

प्रतिलिपि–सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

राजीव लोचन

सरकार के अपर सचिव।

---

[14]

पत्रांक–3/सी०–62/2004 का०–937

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राम शोभित पासवान, भा०प्र०से०,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभागीय सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 23. 06. 05

विषय :–द्वितीय पत्नी एवं उससे उत्पन्न संतान की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि आये दिन मृत सरकारी सेवक की द्वितीय पत्नी और उससे

उत्पन्न संतान की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार की अनुमान्यता के संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग से मार्गदर्शन की माँग की जाती रही है। इस विषय पर सी०डब्लू०जे०सी० संख्या 6201/03 में दिनांक 27.07.2004 को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी यह निदेश दिया गया है कि इस विषय पर नीति निर्णय के रूप में एक अनुदेश निर्गत किया जाय।

2. उल्लेखनीय है कि हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक पत्नी के जीवित रहते हुए विवाह करना अवैध है, परन्तु मुस्लिम पर्सनल लॉ इसकी इजाजत देता है। इस संबंध में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–23 में प्रावधान किया हुआ है कि ऐसा कोई सरकारी सेवक जिसका पति या पत्नी जीवित हो, किसी व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह के लिए करार नहीं करेगा; परन्तु सरकार किसी सरकारी सेवक को दूसरा विवाह करने की अनुज्ञा दे सकेगी, यदि ऐसा विवाह ऐसे सरकारी सेवक और ऐसे विवाह के द्वितीय पक्षकार पर लागू पर्सनल लॉ के अधीन वैध हो और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है।

3. उपर्युक्त नियम से स्पष्ट है कि कोई सरकारी सेवक, चाहे उसे पर्सनल लॉ के अनुसार ऐसा करने की अनुमान्यता हो या न हो, बिना सरकार की पूर्व अनुज्ञा के, पति या पत्नी के जीवित रहते विवाह या विवाह के लिए करार नहीं कर सकता है। ऐसी परिस्थिति में यदि वह बिना सरकार की अनुज्ञा के विवाह करता है तो ऐसी पत्नी और उससे उत्पन्न संतान को संबंधित सरकारी सेवक की सेवाकाल में मृत्यु के पश्चात् अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं हो सकती है।

4. यदि सरकार की पूर्व अनुज्ञा लेकर ऐसा द्वितीय विवाह किया गया हो तो वैसी परिस्थिति में अनुकम्पा आधारित नियुक्ति संबंधी ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.1991 की कंडिका (1) (घ) में दर्शायी गयी प्राथमिकता के अनुसार अनुकम्पा आधारित नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता हो सकेगी। परन्तु, ऐसी नियुक्ति के आधार पर द्वितीय विवाह को विधिसम्मत एवं वैध प्रभाव दिये जाने का दावा मान्य नहीं होगा। यदि उपर्युक्त रूप में एक से अधिक विवाह वैध हो तो ऐसे सभी जीवित पत्नियों का अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचारार्थ आश्रितों की श्रेणी में प्रथम स्थान होगा, किन्तु उसमें भी प्रथम पत्नी का ही प्रथम स्थान होगा। अन्य पत्नियों की नियुक्ति हेतु विचार तभी किया जा सकेगा जब प्रथम/वरीय पत्नी इस हेतु अनापत्ति एवं शपथ–पत्र दे। परन्तु ऐसी अनापत्ति एवं शपथ–पत्र की सत्यता की जाँच के बाद ही अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी। अन्य आश्रितों की नियुक्ति हेतु विचार उनकी प्राथमिकता के अनुसार सभी जीवित वैध पत्नियों की अनापत्ति/शपथ–पत्र के आधार पर हो सकेगा।

5. कृपया उपर्युक्त अनुदेश से अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत करा दें।

विश्वासभाजन,

राम शोभित पासवान

सरकार के संयुक्त सचिव।

पत्रांक–3/अनु०–2–14/04 का०–794

बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राम शोभित पासवान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 07 जून, 2005

विषयः– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति–आरक्षी बल के सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक इस विभाग के पत्रांक–7086 दिनांक 20.08.2004 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि उक्त परिपत्र में स्पष्ट की गयी स्थिति के बाद जिला पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के पत्रांक–899/स्था0, दिनांक 28.10.2004 के तहत निम्नांकित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन माँगा गया है :–

(1) विभागीय पत्रांक–13293, दिनांक 05.10.1991 की कंडिका–11 के अनुसार जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र पर विचार करने हेतु जिला अनुकम्पा समिति की प्रभाव–सीमा निर्धारित है उनमें आरक्षी एवं गृह रक्षा वाहिनी विभाग सम्मिलित नहीं है। ऐसी स्थिति में इन विभागों से प्राप्त आवेदन पत्र पर जिला अनुकम्पा समिति विचार कर सकती है या नहीं।

(2) आरक्षी के पद नियुक्ति हेतु शैक्षणिक, शारीरिक योग्यता एवं आरक्षण कोटि के अनुसार उम्र सीमा के संबंध में निदेश आवश्यक है।

(3) गृह रक्षा वाहिनी विभाग के किन कर्मचारियों की मृत्य सेवाकाल में होने पर उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ अनुमान्य है और किन्हें नहीं।

(4) विभागीय परिपत्र संख्या–8093 दिनांक 25.07.1998 के अनुसार उम्र सीमा क्षान्त का प्रावधान आरक्षी के पद पर नियुक्ति के संबंध में प्रभावी रहेगा या नहीं।

2. इस विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक–7086 दिनांक 20.08.2004 में उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में स्थिति स्पष्ट की गयी है, इसलिए उपरोक्त पृच्छाओं की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए थी। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी विभागों में कार्यरत सरकारी कर्मियों के मृत्यु होने पर उनके आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों पर जिला अनुकम्पा समिति द्वारा इस विभाग के पत्रांक 13293 दिनांक 05.10.1991 एवं 2822 दिनांक 27.04.95 के आलोक में विचार किया जाना है। उक्त आलोक में आरक्षी के पद पर कार्यरत कर्मियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों के मामले पर भी जिला अनुकम्पा समिति द्वारा विचार किया जाना है। जहाँ तक गृह रक्षा वाहिनी के कर्मियों का प्रश्न है, इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि गृह रक्षा वाहिनी के गृह रक्षक मानदेय पर कार्य करते हैं तथा उन्हें सरकारी सेवक की कोटि

में नहीं माना जा सकता है तथा तदनुसार उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ देय नहीं होगा। गृह रक्षा वाहिनी संगठन के अधीन नियमित पदों पर कार्यरत अन्य कर्मियों के मामले में जिला अनुकम्पा समिति द्वारा उसी प्रकार विचार किया जाना है, जिस प्रकार अन्य सरकारी कर्मियों के मामलों पर विचार किया जाता है।

3. जहाँ तक आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक, शारीरिक योग्यता एवं आरक्षण कोटि के अनुसार उम्र सीमा के संबंध में निदेश का प्रश्न है, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु उक्त पद के लिए वांछित शैक्षणिक, शारीरिक योग्यता एवं अन्य योग्यतायें आवश्यक हैं तथा आरक्षण कोटि के अनुसार अधिकतम उम्र सीमा का प्रावधान लागू है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि अनुकम्पा समिति को समूह "ग" (वेतनमान 3050–4590 से उच्चतर वेतनमान में नहीं) एवं समूह "घ" के न्यूनतम वेतनमान में नियुक्ति के लिए अनुशंसा करनी है, न कि किसी पद विशेष के लिए। साथ ही अनुकम्पा समिति की अनुशंसा के आलोक में रिक्ति के अनुसार पदीय योग्यता होने पर किसी पद विशेष पर नियुक्ति का निर्णय संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को लेना है।

4. आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन,
राम शोभित पासवान
सरकार के संयुक्त सचिव

---

[16]

पत्र संख्या–3/अनु० 2–03/2004 का०–512

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

आर० एस० पासवान,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में

सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 12. 05. 05

विषय :– दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुमान्यता के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 13293, दिनांक 05.10.91 की कंडिका (1) (ग) के तहत यह अनुदेश दिया गया है कि दत्तक पुत्र, दामाद, भतीजा आदि को आश्रित नहीं माना जायेगा। इस आलोक में दत्तक पुत्र/पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार के लाभ की अनुमान्यता नहीं है।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी०डब्लू०जे०सी० नं० 12814/2000 (परशुराम प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–07.05.2004 को पारित आदेश में कमल रंजन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [1994 (2) पी०एल०जे०आर०, 536], मधुसूदन मिश्रा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य [1996 (1) पी०एल०जे०आर०, 482] तथा मेसर्स भारत कोकिंग कोल लि० एवं अन्य बनाम उज्जवल कुमार राय एवं अन्य [1998 (1) पी०एल०जे०आर०, 769] वाले मामलों के आधार पर निदेश दिया गया है कि उक्त न्यायादेशों के आलोक में दत्तक पुत्र आश्रित की श्रेणी में आते हैं, अतः आवेदक की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु पुनर्विचार किया जाय। इस आदेश के संदर्भ में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा दिशानिदेश भी माँगा गया है।

3. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्लू०जे०सी० नं० 7529/2004 (संजय कुमार सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक–31.01.2005 को पारित आदेश [2005 (1) पी०एल०जे०आर०, 593] में कहा गया है कि "In law there is no distinction between the natural son and adopted son, particularly, in relation to a Hindu. Therefore, despite it having been provided in the law that adopted son will not be entitled to compassionate appointment, the Division Bench of this Court in the case of Kamal Ranjan Vs. The State of Bihar & Ors. reported in 1994 (2) PLJR, 536 has laid down that an adopted son being a son of a Hindu in terms of the provisions of the Hindu Adoption and Maintenance Act, connot be distinguished from a natural son for the purpose of grant of compassionate appointment." हिन्दू सक्शेसन ऐक्ट, 1956 तथा हिन्दू एडॉप्सन ऐंड मेन्टेनेन्स ऐक्ट, 1956 के अनुसार भी प्राकृतिक उत्तराधिकारियों के अलावे दत्तक पुत्र/दत्तक पुत्री को उत्तराधिकार मिलता है।

4. उपर्युक्त न्याय–निर्णयों एवं तथ्यों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि हिन्दू सरकारी सेवकों के मामलों में दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री भी आश्रित की श्रेणी में माने जायेंगे, बशर्ते कि एडॉप्सन हिन्दू ऐंड मेन्टेनेन्स ऐक्ट, 1956 के प्रावधानों के अनुसार हुआ हो और उक्त ऐक्ट के अधीन ऐसा दावा विधिसम्मत हो। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका (1) (ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन,
आर० एस० पासवान
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

[17]

पत्र सं०–3/एम०–44/2004–3647

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

राम शोभित पासवान,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमंडलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 30. 04. 2005

विषय :– कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में परिणत मृत कर्मियों के आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ देने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 की कंडिका 1 (ख) के अनुसार मृत सरकारी सेवक के आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार का लाभ की अनुमान्यता के प्रयोजनार्थ सरकारी सेवक उसे माना गया है जिसकी नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत की गयी हो। जिला पदाधिकारी, पटना द्वारा उनके पत्रांक 2967/स्था० दिनांक 19.12.2002 के तहत माँगे गये मार्गदर्शन के संदर्भ में उपर्युक्त परिपत्रीय प्रावधानों के आलोक में इस विभाग के पत्रांक 2779 दिनांक 03.05.2003 के तहत उन्हें सूचित किया गया था कि कार्यभारित स्थापना से नियमित स्थापना में लाये गये कर्मी उपर्युक्त परिपत्र की उक्त कंडिका के अनुसार सरकारी सेवक की श्रेणी में नहीं आते हैं। अतः ऐसे कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार का लाभ अनुमान्य नहीं किया गया है।

2. माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर दायर एल०पी०ए० नं०–897/2003 (दिलीप कुमार भट्टाचार्य बनाम राज्य एवं अन्य) और सात अन्य एल०पी०ए० में दिनांक 24.11.2004 को पारित समेकित आदेश में कहा गया है कि एक बार जब सरकार की नीति के तहत कार्यभारित स्थापना के कर्मी को नियमित कर दिया जाता है तो इस आधार पर कि उनकी नियुक्ति समायोजन द्वारा हुई है, उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्थाई सेवा में प्रवेश के स्रोत के आधार पर अनुकम्पा नियुक्ति के मामले में अन्तर रखे जाने को विधि के विरुद्ध बतलाया है।

3. गत दिसम्बर–जनवरी में अराजपत्रित कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार एवं विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ समझौते के लिए बनी सहमति के विन्दुओं में से विन्दु संख्या–14 के तहत कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य राज्यकर्मियों की तरह उनके आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिये जाने का उल्लेख है। वित्त विभाग ने अपने पत्रांक 3ए–07–महा०– 01/2005 –1803/वि (2)

दिनांक 05.04.2005 के तहत अनुरोध किया है कि उपर्युक्त सहमति के विन्दु पर अपेक्षित कार्रवाई की जाय।

4. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक रूपेण विचारोपरान्त सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि कार्यभारित स्थापना से नियमित हुए कर्मियों की सेवाकाल में मृत्यु होने पर अन्य राज्यकर्मियों की तरह उनके आश्रितों को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का लाभ दिया जायेगा। इस संबंध में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 2779 दिनांक 03.05.2003 को निर्गत की तिथि (03.05.2003) के प्रभाव से विलोपित समझा जाय। साथ ही अन्य सदृश्य मामलों में भी पूर्व में निर्गत मार्गदर्शनों को इसी प्रकार उनके निर्गत की तिथि के प्रभाव से विलोपित समझा जाय।

विश्वासभाजन,

राम शोभित पासवान

सरकार के संयुक्त सचिव

---

[18]

पत्र संख्या–3/आर 1–178/2003 का०–10310

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राय प्रमोद कुमार,

सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,

जिला अनुकम्पा समिति, पटना/नवादा/रोहतास (सासाराम)/

सहरसा/भागलपुर/भोजपुर, आरा/मुजफ्फपुर।

पटना–15, दिनांक 30 नवम्बर, 2004

विषय :– ऊर्जा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी लम्बित मामले के निष्पादन हेतु दिनांक 11.08.2004 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में कार्रवाई के संबंध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ऊर्जा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति का मामला वर्षों से लंबित बताया गया है, क्योंकि ऊर्जा विभाग के किसी अधीनस्थ कार्यालय में वर्ग–3 एवं वर्ग–4 में रिक्ति अनुपलब्ध बतायी गयी है।

इस संबंध में दिनांक 11.08.2004 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये निर्णयानुसार कार्मिक विभागीय प्रासंगिक पत्रांक 2822 दिनांक 27.04.05 की कंडिका 3 (ख) की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि उसमें यह स्पष्ट रूप से अनुदेश है कि जिला अनुकम्पा समिति द्वारा जिला स्तर के विभिन्न कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों

के अर्हता प्राप्त आश्रितों की नियुक्ति हेतु मृत्यु की तिथि के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों की ही बरीयता सूची तैयार की जायेगी और रिक्ति के अनुसार संबंधित कार्यालयों को यह समिति नियुक्ति हेतु नाम अग्रसारित करेगी। तदनुसार जिला अनुकम्पा समिति को मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों का आवेदन पत्र वैसे कार्यालयों में नियुक्ति हेतु अनुशंसित कर भेजने पर विचार करना है, जिन कार्यालयों में रिक्तियाँ हैं।

अतः अनुरोध है कि चूँकि ऊर्जा विभाग में रिक्तियाँ अनुपलब्ध बतायी गयी हैं, अतएव ऊर्जा विभाग के कार्यालयों के मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों के आवेदन वैसे कार्यालयों को अनुशंसित कर भेजे जाने पर विचार किया जाय, जिन कार्यालयों में रिक्तियाँ हों। तदनुसार अनुपालन प्रतिवेदन भेजने की कृपा करें।

विश्वासभाजन,
राय प्रमोद कुमार
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक 10310 पटना–15, दिनांक 30.11.04

प्रतिलिपि–सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 2586 दिनांक 12.09.2004 तथा 2753 दिनांक 12.10.2004 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

राय प्रमोद कुमार
सरकार के उप सचिव।

---

[19]

पत्र संख्या–3/एम०–19/2004 का०–7086

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री राय प्रमोद कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष,
जिला अनुकम्पा समिति।

पटना–15, दिनांक 20 अगस्त, 2004

विषयः– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति–आरक्षी बल के सेवकों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि महानिदेशक एवं आरक्षी महानिरीक्षक के कार्यालय के पत्रांक

582/पी–2 दिनांक 24.06.2004 के तहत सरकार के ध्यान में लाया गया है कि आरक्षी बल के मृत कर्मियों के आश्रितों की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के आवेदन/प्रस्ताव पर जिला अनुकम्पा समितियों द्वारा विचार नहीं किया जा रहा है। यह कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 तथा पत्रांक 2822 दिनांक 27.04.95 का उल्लंघन है।

उल्लेखनीय है कि अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति का लाभ ऐसे सभी सरकारी सेवकों के आश्रितों को अनुमान्य है, जिनकी नियुक्ति स्वीकृत पद के विरुद्ध विधिवत हुई हो। उक्त परिभाषा के अन्तर्गत आरक्षी बल के कर्मी भी शामिल हैं। पत्रांक 2822 दिनांक 27.04.95 के अन्तर्गत माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश से अनुकम्पा समितियाँ गठित की गयी हैं, जिसके अनुसार जिला स्तर पर कार्यालयों के मृत सरकारी सेवक के आश्रित की अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले में विचार जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में गठित एक समिति के द्वारा होना है। इसके विपरीत कोई भी अनुकम्पा आधारित नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना है।

अतः अनुरोध है कि आरक्षी बल के अनुकम्पा आधारित नियुक्तियों के (जिला से संबंधित) प्रस्ताव/आवेदन विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राप्त होने पर संबंधित जिला अनुकम्पा समिति द्वारा शीघ्रता से विचार कर समुचित अनुशंसा किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,
राय प्रमोद कुमार
सरकार के उप सचिव।

ज्ञाप सं०– 7086 पटना–15, दिनांक 20 अगस्त, 2004

प्रतिलिपि सचिव, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना/आरक्षी उप महानिरीक्षक (कार्मिक), बिहार, पटना को उनके पत्रांक 582/पी–2 दिनांक 24.06.2004 को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राय प्रमोद कुमार
सरकार के उप सचिव।

पत्र संख्या–3/आर 1–112/2001 का०–5987

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री कुमार लाल देव,

सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 29 जुलाई, 2002

विषय :– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवकों के आश्रितों को वर्ग–3 एवं वर्ग–4 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया।

महाशय,

उपर्युक्त विषय पर इस विभाग के ज्ञापांक 13293 दिनांक 05.10.91 एवं 2822 दिनांक 27.04.95 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामलों में भी प्रस्तावित पद हेतु सरकार द्वारा निर्धारित अर्हता के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुदेश है। परन्तु ऐसी नियुक्ति में अनुशंसा के अनुरूप प्रमाण–पत्र धारकों को ज्ञान भी उपलब्ध है या नहीं, इसकी जाँच नहीं हो पाती है। फलस्वरूप अक्षम व्यक्ति भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पा जाते हैं।

हाल में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुकम्पा समिति की वर्ग–3 में नियुक्ति की अनुशंसा के आधार पर नियुक्ति की कार्रवाई के दौरान यह पाये जाने पर कि वर्ग–3 में नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता रहते हुए भी उम्मीदवार वास्तविक रूप से वर्ग–3 में नियुक्ति के अनुरूप ज्ञान धारण नहीं करते थे, तो अनुकम्पा समिति की वर्ग–3 की अनुशंसा के बावजूद नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति वर्ग–4 में की गई। वर्ग–4 में की गयी ऐसी नियुक्ति को माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया है।

सुलभ निर्देश हेतु माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा एल०पी०ए०सं०–1209/2000 (बिहार राज्य बनाम माधुरी कुमारी सिन्हा एवं अन्य) में दिनांक 28.02.2001 को पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्न की जाती है।

विश्वासभाजन,

कुमार लाल देव

सरकार के अवर सचिव

In the High Court of Judicature at Patna

L.P.A. No. 1209 of 2000

The State of Bihar and ors.. Appellants

Versus

Madhuri Kumari Sinha .... Respondent.

For the Appellants :- Mr. S.K.Ghosh, A.A.G.II and

Dr. Mayanand Jha, J.C. to A.A.G.II

For the Respondent :- Mr. S.B.Singh, Advocate.

3. **28/2/2001.** This appeal is directed against the order dated 07.04.2000 passed by the learned Single Judge whereby he has allowed the writ petition filed by the respondent petitioner and directed the respondents to appoint her on Class III post on compassionate ground.

The appeal is barred by limitation.

Having heard the parties and perused the averments made in paragraph nos. 3 to 5 of the limitation petition, we are of the view that there is no intention or laches on the part of the State. Accordingly, the limitation petition is allowed and delay in filing the appeal is condoned.

The husband of the private respondent was an employee of the State Government in the department of Statistics and Evaluation, who died on 29.11.96. Thereafter respondent-petitioner filed an application for her appointment on compassionate ground. The matter was considered by the Committee and the Committee recommended for her appointment on Class-III post. The matter was placed before the appointing authority and the appointing authority took test of calculation and letter writing of respondent-petitioner. When she failed in both the matters the appointing authority took a decision that she is not fit for class III post and accordingly ordered for appointment on Class-IV post.

The respondent aggrieved by the aforesaid decision filed a writ petition and the learned single judge allowed the same merely on the ground that the Committee had recommended her appointment on Class III post and the appointing authority cannot deny her appointment on class III post .

We disagree with the view taken by the learned single judge. The appointment on compassionate ground is not a mode of appointment. However, such appointment is made to mitigate the hardship of the family members of the deceased employee. If the dependent has some other source of income then he is not entitled to appointment on compassionate ground only on the basis of the death of the employee. The person concerned cannot claim a particular post. It is for the appointing authority to consider what post is to be offered after taking into consideration the efficiency and merit of the candidate concerned. In this case the respondent was found unable to write or make calculation accordingly offered class-IV posts.

In that view of the matter, the decision taken by the appointing authority offering class IV post to the respondent-petitioner cannot be said to be arbitrary or in violation of the well settled principles governing the appointment on compassionate ground.

In the result, the appeal is allowed and the order passed by the learned single judge is set aside.

If the respondent petitioner is agreeable to join class-IV post she may join the same.

Sd/- Nagendra Rai, J.

Sd/- S.K. Katriar, J.

पत्र संख्या–3/सी–3–164/2001 का० 2218

बिहार सरकार

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

कुमार लाल देव,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी

पटना–15, दिनांक 06 मार्च, 2002

विषय :– सी०डब्लू०जे०सी० नं० 13399/2001–विमलेश कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में दिनांक 08.01.2002 को पारित आदेश का संसूचन।

महाशय,

निदेशानुसार माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी.डब्लू.जे.सी. नं० 13399/2001 (विमलेश कुमार झा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 08.01.2002 को पारित आदेश की प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु संलग्न कर भेजी जाती है।

अनुलग्नक–यथा उपर्युक्त।

विश्वासभाजन,
कुमार लाल देव
सरकार के अवर सचिव।

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
C.W.J.C. No. 13399 of 2001
Bimilesh Kumar Jha V. State of Bihar and ors.

08.01.2002. Heard counsel for the parties.

By this application, the petitioner has prayed for an issuance of a direction upon the respondent to appoint him against a sanctioned vacant post of Class III on compassionate ground either in Land Protection Directorate or in the office of the Land Protection Officer, Patna.

Admitted fact is that the father of the petitioner died in harness. The petitioner claimed appointment on compassionate ground and applied for the same. The Central Compassionate Appointment Committee recommended the case of the petitioner for appointment on class IV post, and, accordingly, he was appointed on class IV Post in Mofussil office at Gaya.

Now a grievance is being made that owing to the qualification of the petitioner, the Director, respondent

No.5, Soil Conservation Directorate, Government of Bihar, Patna, recommended his case for appointment on a vacant Class III post in the Directorate itself, and, in that view of the matter he could have been appointed on class III post in the Directorate, as he was having requisite qualification. The action of the state authority in not doing so is under challenge.

It appears that the claim of the petitioner was duly examined by the Central Compassionate Appointment Committee and he was recommended for appointment on class IV post and he was appointed as such. The petitioner joined the post and till date he is functioning there.

Respondents by filing a counter affidavit have opposed the prayer of the petitioner saying that the petitioner since has been appointed on class IV post on compassionate ground and his joining has been accepted, he cannot claim as a matter of right to be appointed on Class III post as appointment on compassionate ground is made to mitigate the hardship of the deceased family.

The very purpose of appointment on compassionate ground is to provide immediate succour to the bereaved family and no person can claim compassionate appointment on a particular post, as a matter of right. By appointing the petitioner on class IV post the authorities have reasonably taken into account the hardship of the bereaved family. Now the petitioner having joined on the post as class IV employee cannot make grievance for his appointment on a Class III post on compassionate ground. Appointment on compassionate ground is not one of the modes of regular appointment and the concept of appointment on compassionate ground is merely to mitigate the hardship of the bereaved family.

Dealing with the similar circumstance, this court in Civil Writ Jurisdiction Case No. 4346 of 2000 (Umesh Kumar V. The State of Bihar and others) has held that appointment on compassionate ground is not a mode of appointment and no person can claim to be appointed on a higher post as a matter of right. This order has been brought on record, marked as annexure-C to the counter affidavit filed by the respondents. A similar view has also been taken by a Bench of this Court as referred to in annexure-D to the counter affidavit of the respondents in letters patent Appeal No. 1209 of 2000 (The State of Bihar and others V. Madhuri Kumari Sinha).

In view of the facts, enumerated above, the decision taken by the appointing authority offering Class IV post to the petitioner cannot be said to be arbitrary, unreasonable or in violation of the principles governing the appointment on compassionate ground.

In the result, this application is dismissed.

No order as to costs.

Sd/-Narayan Roy

No. 517 Patna, dated 19 Jan. 2002
Office of the Advocate-General, Bihar
High Court, Patna

From:-

Sri S.K. Ghose,

Addl. Advocate General No II.

To,

The Secretary, Personnel and Administrative Reforms, Govt. of Bihar, Patna.

The Director, Soil Conservation, Govt. of Bihar, Patna.

Sub:- L.P.A. NO. 87/2002 Bimlesh Kr. Jha-vs-The State & ors

The instant L.P.A. has been filed against the order passed in CWJC No. 1339/2001.

The aforesaid case was taken up for hearing in admission on 17.1.2002. After hearing the parties the Hon'ble Court dismissed the L.P.A. petition.

This is for your information.

Rajesh Kumar Singh , Adv.
J.C. to AAG II
for Addl. Advocate-General No. II.
18.01.2002

No. 1114 / Patna, dated the 13 Feb, 2002
Office of the Advocate-General, Bihar
High Court, Patna

From:-

Shri S. K. Ghose,

Addl. Advocate-General No. II

To,

The Commissioner/Secretary, Personnel and Administrative Reforms, Department, Govt of Bihar, Patna

The Director, Soil Conservation, Govt of Bihar, Patna.

Sub. :- MJC No. 135/2002 Bimlesh Kr. Jha-Vs-The State & ors.

The instant modification has been filed against the order passed in CWJC. No. 1339/2000.

The aforesaid case was taken up for hearing in admission on 12.2.2002. After hearing the parties, the Hon'ble Court dismissed the modification petition.

Sd/- Illigible
for Addl. Advocate-General No. II
13.02.2002

[22]

पत्र संख्या–3/एम 1–03/2001 का०–3385

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

प्रेषक,

श्री हारुण रशीद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष

सभी प्रमण्डलीय आयुक्त,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 20 जून, 2001

विषयः– वेतन पुनरीक्षण के कारण अनुकम्पा के आधार पर वर्ग–3 में नियुक्ति हेतु पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञाप संख्या 13293 दिनांक 05.10.91 की ओर आपका ध्यानाकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि उक्त पत्र के अन्तर्गत यह सूचित किया गया था कि वर्ग–4 के सभी पद एवं 1200–1800 तक के वेतनमान के वर्ग–3 के पदों पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है।

राज्य सरकार के कर्मियों के छठ्ठे वेतन पुनरीक्षण के पश्चात् यह प्रश्न विचाराधीन था कि वर्ग–3 में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु 1200–1800/– के वेतनमान का प्रतिस्थानी वेतन (Replacement Scale) क्या हो। वित्त विभाग द्वारा उनके पत्रांक 8825/वि० (2) दिनांक 20.12.2000 तथा 8826/वि० (2) दिनांक 20.12.2000 के तहत सम्वर्गो का पृथ्थकरण करते हुए निम्नतम वेतनमान अर्थात् निम्नवर्गीय लिपिक (वेतनमान 3050–4590) के पदों पर ही सीधी नियुक्ति की कार्रवाई का निदेश दिया गया है।

अतः उपर्युक्त अनुदेश के क्रम में यह निर्णय लिया गया है कि वित्त विभाग के उक्त स्वीकृत्यादेशों के निर्गत होने के बाद एवं अगले आदेश तक अनुकम्पा के आधार पर भी वर्ग–3 में नियुक्ति के लिए वेतनमान की सीमा 3050–4590/–रहेगी। तदनुसार वर्ष 1991 के उक्त परिपत्र में वर्ग–3 के लिए निर्धारित वेतनमान (1200–1800/–) का पुनरीक्षित वेतनमान रु० 3050–4590/– पढ़ा जाय।

विश्वासभाजन,

हारुण रशीद

सरकार के संयुक्त सचिव।